

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0  
(समक्ष पी0सी0 आर्य)

प्रकरण क्रमांक 43/15 अ0फौ0

संस्थित दिनांक-19/02/2015

फाइलिंग नंबर-230303000982015

श्रीमती शकुन्तला कुशवाह पत्नी दीपक कुशवाह पुत्री  
लच्छीराम कुशवाह आयु 29 साल निवासी ग्राम छरेंटा  
(एन्हों) हाल ग्राम हरीछा तहसील गोरमी जिला भिण्ड म0प्र0

----- अपीलांट/फरियादी  
बनाम

- 1- दीपक कुशवाह पुत्र रामचरन कुशवाह आयु 30  
साल जाति कुशवाह निवासी ग्राम छरेंटा (एन्हों)  
थाना एण्डोरी परगना गोहदजिला भिण्ड म0प्र0
- 2- मोहरसिंह पुत्र ग्याराम कुशवाह आयु 26 साल
- 3- सिंदो उर्फ सुनन्दा पत्नी रामचरन आयु 58 साल  
समस्त जाति कुशवाह निवासी ग्राम छरेंटा (एन्हों)  
थाना एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 4- म0प्र0शासन द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी  
----- रिस्पोंडेन्टगण/आरोपीगण

अपीलार्थी/फरियादिया द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थीगण/आरोपीगण द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

न्यायालय श्री एस0के0तिवारी, जे0एम0एफ0सी0 गोहद द्वारा दाण्डिक  
प्रकरण क्रमांक 689/11 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 23-01-2015  
से उत्पन्न दाण्डिक अपील।

--- नि र्ण य ---

// आज दिनांक 16/08/2016 को खुले न्यायालय में घोषित //

1. अपीलार्थी/फरियादी की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा 372 द0प्र0सं0 के अंतर्गत  
न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री एस0के0तिवारी द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 689/11

निर्णय दिनांक 23-01-15 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थागण/आरोपीगण को धारा 498ए भा0द0वि0 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है एवं प्रत्यर्थागण/आरोपीगण को 498ए भा0द0सं0 के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं तीन तीन सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड से संतुष्ट न होने के कारण अपीलार्थी/फरियादिया की ओर से उक्त दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थी/फरियादिया, आरोपी/प्रत्यर्था दीपक की विवाहिता पत्नी है एवं आरोपी/प्रत्यर्था मोहरसिंह की बहू है, जो उसका चचिया ससुर है तथा आरोपीगण/प्रत्यर्थागण रामचरन एवं सिन्दो उर्फ सुनन्दा की पुत्रवधु है, जो कि उसके सास ससुर हैं। यह भी स्वीकृत है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण के दौरान फरियादिया का आरोपीगण/प्रत्यर्थागण से समझौता हुआ था जिसके आधार पर धारा 498ए भा0द0सं0 के आरोप को छोड़कर शेष में समझौते के तहत दोषमुक्ती की जा चुकी है और राजीनामा समझौता स्वेच्छया पूर्वक हुआ है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि फरियादिया शकुन्तला कुशवाह की शादी ग्राम छरेंटा के रहने वाले दीपक कुशवाह के साथ हुयी थी। शादी में फरियादिया के पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामान एवं नगदी दहेज के रूप में दिया था। शादी के बाद जब फरियादिया अपनी ससुराल गयी तो उसके पति सास ससुर दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने के कारण संतुष्ट नहीं थे। फरियादिया का पति उससे कहता था कि फरियादिया अपने पिता से दहेज में मोटरसाइकिल दिलवाए। फरियादिया ने यह बात अपने पिता से कही तो उसके पिता द्वारा कहा गया कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह दहेज में मोटरसाइकिल दे सके। इसी बात पर आरोपीगण, फरियादिया को प्रताड़ित करने लगे ताने देने लगे, आये दिन मारपीट करने लगे। इन सब बातों से परेशान होकर फरियादिया अपने मायके अपने पिता के पास आकर रहने लगी। इसी दौरान फरियादिया को एक बच्चा अमन पैदा हुआ। लगभग तीन माह बाद गांव में पंचायत हुई आरोपीगण ने उसमें इस बात की गारंटी दी कि वे फरियादिया को परेशान नहीं करेंगे। तत्पश्चात् फरियादिया आरोपीगण के यहां रहने को चली गयी लेकिन आरोपीगण ने फिर इसी मांग को दोहराते हुये उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। फरियादिया पुनः अपने पिता के घर वापस लोट आई। घटना के संबंध में फरियादिया द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो अप0क0 116/11 पर पंजीबद्ध की गयी तत्पश्चात् शेष अनुसंधान पूर्ण किए जाने के बाद अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण को धारा 498ए, 323/34, 506 भाग-2 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इन्कार किया, प्रकरण में फरियादिया एवं आरोपीगण के मध्य स्वेच्छया राजीनामा हुआ है, जिसके चलते आरोपीगण को विचारण के दौरान धारा 323/34 एवं 506 भाग-2 भा0द0सं0 के आरोप से दोष मुक्त किया गया है। एवं

धारा 498 ए भा0द0सं0 के तहत विचारण किया गया विचारण उपरांत आरोपीगण को धारा 498 ए भा0द0सं0 के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुये उसे उक्त धारा के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं तीन तीन सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित दण्डित किया गया था । जिससे व्यथित होकर फरियादिया/अपीलार्थी के द्वारा यह दण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।

5. अपीलार्थी/फरियादिया की ओर से प्रस्तुत किये गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दण्डाज्ञा दिनांक 23-01-15 विधि विधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है । अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का सही ढंग से विवेचना न करते हुये मनमाने तौर से क्यास निकालते हुये आरोपीगण को धारा 498 ए भा0द0सं0 में कम दण्ड सुनाकर गलत निर्णय एवं दण्डाज्ञा पारित की है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है जिसे निरस्त कर आरोपीगण को तीन तीन वर्ष के कारावास से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है ।
6. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुये उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं फेरबदल न करने का कोई आधार न होना बताते हुये अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।
7. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-
  - 1- क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण/आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर कम सजा देने में विधि या तथ्य की भूल की गई है?
  - 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कम है ?

// निष्कर्ष के आधार //

8. अपीलार्थी/फरियादिया की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक के द्वारा अपीलीय ज्ञापन में उठाये गये बिन्दुओं पर यह तर्क किया है कि फरियादिया ने समझौता आरोपीगण से इसलिये किया था ताकि वह उसे साथ में रखे । किन्तु राजीनामा के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कम सजा दी गयी है और प्रत्यर्थी/आरोपीगण ने पहले से विवाह का अनुबंध लिखवा लिया है और उसे सुख पूर्वक नहीं रख रहे हैं । इसलिये तीन वर्ष के दण्ड की दण्डाज्ञा आरोपीगण/प्रत्यर्थीगण को दी जावे । प्रत्यर्थीगण/आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह बताया है कि विवाह विच्छेद का कोई अनुबंध नहीं हुआ है और फरियादिया श्रीमती शकुन्तला ने अपनी सहमती से समझौता किया था और साक्ष्य उपरान्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करते हुये उचित निष्कर्ष निकालते हुये प्रकरण का निराकरण किया है । न्यायालय उठने तक का जो दण्डादेश दिया

गया था, उसे आरोपीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में भुगत लिया है और अधिरोपित अर्थदण्ड भी जमा कर दिया है। अपीलार्थी/फरियादिया ने ब्लेकमेल करने के आशय से असत्य आधारों पर अपील की है जो सब्यय निरस्त की जाये।

9. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विचारण के दौरान फरियादिया श्रीमती शकुन्तला के द्वारा किये गये समझौते के आधार पर अन्य आरोप धारा 323/34 एवं 506 भाग-2 भा0द0सं0 के आरोप से दोष मुक्ती की गयी है। विचारण न्यायालय में समझौता स्वेच्छया पूर्वक किया जाना अपीलीय स्तर पर भी अपीलार्थी/फरियादिया की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 498 ए भा0द0सं0 का अपराध प्रमाणित पाते हुये समझौते की शर्त को ध्यान में रखते हुये न्यायालय उठने तक के कारावास सहित तीन तीन सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई काउंटर अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है और धारा 498ए भा0द0सं0 में की गयी दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील नहीं है। केवल दण्डाज्ञा के संबंध में उक्त दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है इसलिये दोष सिद्धि के बिन्दु पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में की गयी अभियोजन साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह देखा जाना है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डाज्ञा विधि सम्मत है या नहीं।
10. अपीलीय स्तर पर भी समझौते की बात की गयी है। स्वयं अपीलार्थी/फरियादिया की ओर से अपील स्तर पर भी समझौता होने वाबत् दिनांक 09-08-16 को आवेदन प्रस्तुत कर अपील को समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
11. आरोपीगण/अपीलार्थीगण एवं अपीलार्थी/फरियादिया के आपसी संबंधों को देखते हुये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 498ए भा0द0सं0 में जो दण्ड अधिरोपित किया है, उसे अविवेकपूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि आरोपीगण दीपक फरियादिया का पति है, मोहरसिंह चचिया ससुर है और सिन्दो उर्फ सुनन्दा एवं रामचरन फरियादिया के सास ससुर हैं जो वृद्ध हैं। मामला पारिवारिक विवाद पर से दहेज के लिये प्रताडना का था, जिसमें मोहरसिंह की मांग परोक्ष रूप से होना साक्ष्य में आयी है तथा परिवारों का विघटन न हो, आपसी समझौते से यह रिश्ता निभाया जाये। इस दृष्टि से समझौते के तहत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उदार रूप अपनाते हुये दण्डाज्ञा अधिरोपित की है। इसलिये उसे किसी भी दृष्टि से अविवेकपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इसलिये दण्डाज्ञा बृद्धि की मांग करते हुये प्रस्तुत की गयी उक्त दाण्डिक अपील में कोई विधिक बल नहीं है।
12. फलतः प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन मानते हुये निरस्त की जाती है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 498ए भा0द0सं0 में अधिरोपित दण्डाज्ञा न्यायालय उठने तक का कारावास सहित तीन तीन सौ रुपये के अर्थदण्ड को यथावत् रखा जाता है। दाण्डिक



अपील में प्रत्यर्पण/आरोपीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं ।

13. निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस किया जाये ।

दिनांक-16 अगस्त 2016

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)